न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी रामसर

पीठासीन अधिकारी :— श्री राम लाल मीणा आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या — 165/2024

उनवान

तहसीलदार रामसर बनाम श्री बसीर पुत्र रहमतुल्ला जाति मुसलमान निवासी मिठुवाणियों की बस्ती (देरासर) तहसील रामसर जिला बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी रामसर जिला-बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—:: निर्णय ::—

दिनांक — 18.05.2026

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी (भूमिधारी) तहसीलदार रामसर द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत खातेदारी समाप्त करनें एंव बेदखली बाबत इस न्यायालय में पेश कर निवेदन किया हैं कि राजस्व ग्राम मिठुवाणियों की बस्ती पटवार हल्का देरासर में सयुंक्त खातेदारी खसरा नंबर 394/371 रकबा 6.3697 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल में श्री बसीर पुत्र रहमतुल्ला जाति मुसलमान निवासी मिठुवाणियों की बस्ती तहसील रामसर जिला बाड़मेर की संयुक्त खातेदारी स्थित है। पटवारी हल्का देरासर व भू अभिलेख निरीक्षक हल्का सियाणी द्वारा मौका निरीक्षण करते समय ध्यान में आया कि ग्राम मिठुवाणियों की बस्ती (देरासर) के खातेदारी खसरा नंबर 394/371 रकबा 6.3697 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल में श्री बसीर पुत्र रहमतुल्ला ने रकबा 525 वर्ग फीट भूमि मे बिना किसी सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के दुकान का निर्माण कर कृषि भूमि का कृर्षि से गैर कृर्षि वाणिज्यिक उपयोग में ले रहा है। खातेदार द्वारा शर्तें भंग कर नियमों का उल्लंघन किया है। अतः खातेदार श्री बसीर पुत्र रहमतुल्ला की संयुक्त खातेदारी कृर्षि भूमि खसरा नंबर 394/371 रकबा 6.3697 हैक्टेयर हिस्से मे से रकबा 525 वर्गफीट भूमि के खातेदारी अधिकार समाप्त कर रकबा सरकार लिया जानें का निवेदन किया गया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी श्री बसीर पुत्र श्री रहमतुल्ला को सम्मन जारी कर तलब किया जाकर दिनांक 13.05.2026 को न्यायालय में अपना जवाब रखनें हेतु तारीख मुकर्रर की गई। विप्रार्थी ने बावजूद समन तामिली न्यायालय में उपस्थित नहीं दी।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, तहसीलदार रामसर के आवेदन, मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। चूंकि उक्त भूमि खसरा नंबर 394/371 विप्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। उक्त भूमि में कुल 11 खातेदार है जबकि तहसीलदार द्वारा 01 पक्षकार बनाकर आवेदन पेश किया गया है। तहसीलदार रामसर द्वारा अपने आवेदन में अन्य खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया गया जिससे संबंधित समस्त खातेदारान को नोटिस जारी कर सूचित कर विधिवत सुनवाई नहीं की जा सकी। ऐसे में उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि को खालसा कर एकपक्षीय निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उक्त पत्रावली को इसी स्तर पर खारिज कर तहसीलदार रामसर को आदेशित किया जाता है कि वे उक्त भूमि के समस्त खातेदारान को पक्षकार बनाया जाकर विधिवत रूप से नया आवेदन पेश करे ताकि नियमानुसार विधिवत निर्णय पारित किया जा सकें।

यह निर्णय आज दिनांक 18.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर आदेश जारी किया गया।

(राम लाल मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
रामसर

उपखण्ड अधिकारी
रामसर

Scanned with OKEN Scanner